

279/17

51053

23/5/18

पत्रावली आज राज स्व लोकायतना  
 वेमप वेमामा पत्रावली हुकम  
 पत्रावली के उतरण में प्रस्तुत  
 अधिना पत्र प/स 212 RTA पत्रावली  
 गपानि मूलवाडा मन्दासम्पत्ति के  
 स्वत्व को लेकर है जिसके निस्तारण  
 में समप लगाना स्वभाविक है  
 वादगल भूमि पत्रावली अधिना पत्र प/स  
 212 RTA के तहत मन्त करन  
 पर जाहिर आया कि यदि प्राथी  
 वादगल भूमि के विरुद्ध स्पष्ट आदेश  
 जारी नही किया गया तो अपील  
 शक्ति हो सकती है प्रथम इष्ट  
 शक्ति सतलन भी अधी के पत्र  
 में प्रतीत होता है

अतः अधिना पत्रावली नव  
 अधी विरुद्ध विपरीत स्वीकार वि  
 जाने के आदेश दिए जाते हैं  
 यह आदेश मूल वाद के निस्तारण  
 होने तक प्रभावी होंगे।

आदेश।

अतः ग्राम व पंचम वेमामा स्थित  
 भा.नु. 409 रकबा 2.11 बीघर भूमि  
 की माके एवं रकबा की पत्रावली  
 कायम रहने के आदेश पारित  
 किये जाते हैं यह आदेश दोनो  
 पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा।  
 पत्रावली पंजीरजि ए. से कम को  
 जाकर फलान शुमा लो यह पत्रावली  
 मूल वाद के सापेक्ष रखी  
 निष्पत्ति सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी एनेन  
 सहायक कलेक्टर करंड़ा